

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक INDLP09102411968/ दिनांक / 27/NOV/2024

क्र./1511

दिनांक 19/NOV/2024

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपांतरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (RAMESH CHANDRA PARMAR)-1). SHRI RAMESH CHANDRA PARMAR S/O SHRI PANNALAL PARMAR द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है:-

(क) परियोजना का नाम:-NAIVEDHYA HOMES

(ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक):- पूर्व स्वीकृत ग्राम Deoguradia तहसील Bhicholi Hapsi व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक 228/1 कुल रकबा 1.608 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL , RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है।

(ग) विकास का प्रयोजन:-RESIDENTIAL , RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING

(घ) स्वीकृति क्रमांक INDLP14022417616 दिनांक 2024-03-19

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा <https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp=7gsS3EyZkK> पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website <https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx> पर किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर(म.प्र.)

प्र.क्र./376649

नगानि/Indore

दिनांक 27/NOV/2024

प्रतिलिपि:-

- आवेदक- (RAMESH CHANDRA PARMAR)-1). SHRI RAMESH CHANDRA PARMAR S/O SHRI PANNALAL PARMAR को उक्त सार्वजनिक सूचना को दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों (साईज 2 कॉलम 10 से.मी.) में स्वयं के खर्चे पर प्रकाशित करावें तथा उनकी मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। उक्त समाचार पत्रों का प्रशाधीन क्षेत्र, जिसमें कि भूमि अवस्थित है, में विस्तर्त परिचालन होना चाहिए। स्थल पर सार्वजनिक सूचना को प्रदर्शित भी करें।
- कलेक्टर, जिला Indore की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त, नगर पालिका निगम, Indore की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर(म.प्र.)